X(a)-B

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1300/1994 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—11—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 70/1993—1994/अपील

.....

1—छोटेलाल पुत्र श्री कंचन
2—रतीराम पुत्र दमरू
3—घन्टोले पुत्र दमरू मृत वारिसान—
क. सुन्दरी बेवा घन्टोले
ख. रामसेवक पुत्र दमरू घन्टोले
निवासीगण—ग्राम परा,
तहसील अटेर, भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामस्वरूप पुत्र गुठर्ईलाल
निवासी— बन्थरी, परगना लहार,
जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 वाजपेयी, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/1993—1994/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 30—11—1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि महिला धनवन्ती ग्राम परा की आरा जी खाता कमांक 25 में हिस्सा 1:8 तथा खाता कमांक 26 में हिस्सा 1:6 की भूमि —स्वामी थी। धनवन्ती की मृत्यू के पश्चात अनावेदक रामस्वरूप ने तहसील न्यायालय में वसीहतनामे के आधार पर भूमि का

नामान्तरण करने हेतु मांग की। आवेदकगण द्वारा आपत्ति लगाई गई । विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात वसीहतनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण अनावेदक रामस्वरूप के हित में करने के आदेश दिनांक 26.05.93 को पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकार, अटेर की न्यायालय में हुई और अपीलय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.01.94 से तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 70/93–94/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 30.11.94 को अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 30.11.94 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि विवादित वसीयत कानून के अनुसार सिद्ध की गई है अथवा नहीं। अपर आयुक्त ने भी साक्ष्य की विवेचना न कर और साक्ष्य को पूर्णरूपेण देखे बिना निर्णय लिया है। जो बिल्कुल साक्ष्य विपरीत एवं दोषपूर्ण है। वसीहत को संदेह से परे सिद्व करना चाहिये, विशेष कर जब वसियतग्रहीता वसियत कराने में स्वयं लिप्त हो। वसियतकर्ता की बीमारी की हालत और जिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ उसी अस्पताल के कर्मचारी का गवाह के रूप में होना वसियतकर्ता एवं गवाह का संबंध आदि ऐसे तथ्य है जिन पर किसी न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। अनावेदक ने आवेदक का पाारिवारिक रिश्ता होना स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के तथ्यों के आधार को ही दोहराते हुये प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायात के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक रामस्वरूप द्वारा मूल वसीयत प्रस्तुत की गई है । वसीयत के गवाह जलाउद्दीन एवं झींगूरी के कथन लिपिबद्ध हुये है इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है । वसीयत के दोनों गवाहों एवं स्वयं रामस्वरूप के कथनों में कोई सारभूत विरोधाभास नहीं

है और उनके वसीयत प्रमाणित होते है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के कथन वसीयत को फर्जी प्रमाणित करने में असफल रहें । अतः इन परिस्थितियों में वसीयत को शंका के परे प्रमाणित मान्य किया जाना विधि की मन्शा के अनुकूल होगा ।

6/ उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.94 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.94 में समवर्ती निष्कर्ष निकाले है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर